सं. 31011/2/2006-स्था.(क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग

*****

दिनांक : 11 मार्च, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय : छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) का लाभ उठाते समय निजी हवाई जहाजों से की गई यात्राओं का विनियमन।

अधोहस्ताक्षरी को व्यय विभाग के दिनांक 13-7-2009 के का.ज्ञा. सं. 19024/1/2009 - ई.IV तथा इस विभाग के दिनांक 27-7-2009 के का.ज्ञा. सं. 31011/2/2006-स्था.(क) का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जो अवकाश यात्रा रियायत के समय विमान से यात्रा करने के संबंध में है, जिसमें निर्धारित किया गया है कि विमान द्वारा यात्रा के सभी मामलों में (छुट्टी यात्रा रियायत सहित), घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों, जिनमें भारत सरकार विमान किराए को वहन करती है, संबंधित अधिकारी को केवल एयर इंडिया से यात्रा करनी चाहिए।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल एयर इंडिया से यात्रा करने पर प्रतिबंध ऐसे गैर-हकदार अधिकारियों पर लागू करने की आवश्यकता नहीं है जो विमान से यात्रा करते हैं और रेल की हकदार श्रेणी में छुट्टी यात्रा रियायत प्रतिपूर्ति का दावा करते हैं।

3. उपर्युक्त आदेश इस का.ज्ञा. के जारी होने की तारीख से लागू होंगे। पुराने निपटारा किए जा चुके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।

4. इसे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 9/3/2010 के आई.डी. सं. 19024/1/2009-ई.IV के अन्तर्गत उनके परामर्श से जारी किया गया है।

ह0/-

(पी. प्रभाकरन)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग [redacted] ;अतिरिक्त प्रतियों सहित